आज्ञा-पत्र

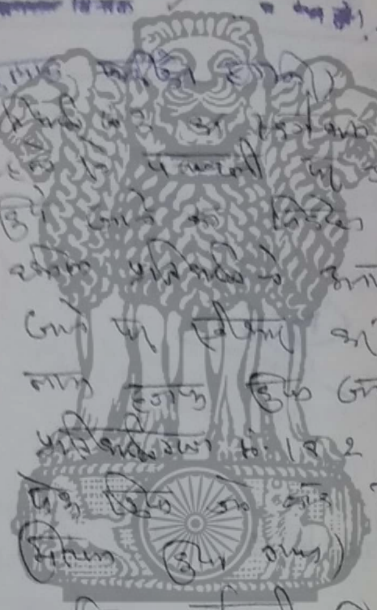

दिनांक	
	[illegible] / वकील उभयपक्ष [illegible] P.O Sb अवकाश पर / चुनाव कार्य मे व्यस्त / [illegible] / अन्य कार्य मे व्यस्त है। [illegible] दिनांक [illegible] को पेश हो।
24/[illegible]/19	[illegible] वकील वादीगण [illegible] [illegible] हाजिर होने [illegible] [illegible] [illegible] कराये जाने का निवेदन किया। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के राजीनामा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आदेश [illegible] को [illegible] [illegible]
2[illegible]/[illegible]/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक गण बहस उभयपक्ष के राजीनामा पर बहस [illegible] सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/9/19 को पेश हो।
27/9/19	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 डिक्री किया जावे। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जि. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद / 72 / 2009

1. श्रीमती मरियम बानो उम्र 70 वर्ष बेवा मुनीर खां
2. याकुब उम्र 53 वर्ष पुत्र स्व. मुनीर खां
3. खाजू खां उम्र 44 वर्ष पुत्र स्व. मुनीर खां
   समस्त जाति कायमखानी निवासीगण कासली तहसील धोद जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

1. विशाल सिंह पुत्र मालसिंह उर्फ मलसिंह
2. गुलाब कंवर बेवा माल सिंह उर्फ मलसिंह (हजफ)
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण कासली तहसील धोद जिला सीकर
3. उपपंजीयक, धोद जिला सीकर
4. तहसीलदार, धोद जिला सीकर
5. अब्दुल रसीद उम्र 38 वर्ष पुत्र मुनीर खां जाति कायमखानी निवासीगण कासली तहसील धोद जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधि. एवं अ.धा. 136 एल आर एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री प्रभातीलाल वकील वादीगण की ओर से
2. श्री शिव कुमार शर्मा वकील प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से
3. श्री रामनिवास वकील प्रतिवादी सं. 5 की ओर से

सत्यमेव जयते
web copy - Not Official

–:निर्णय:–

दिनांक– 27.09.2019

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख.सं. 363 रकबा 3.68 हैक्टेयर के विभाजित ख. सं. 1792 / 463 रकबा 3.35 हैक्टेयर, ख. सं. 1791 / 463 रकबा 0.33 हक्टेयर वाके ग्राम कासली तहसील धोद में अवस्थित है। वादीगण व प्रतिवादी सं. 5 के संबंध में वंशावली निम्न प्रकार से है–

मुनीर खां (फौत)

- मरियम (पत्नी) (वादीया सं. 1)
- याकुब खां (वादी सं. 2)
- खाजू खां (वादी सं. 3)
- अब्दुल रसीद (प्रतिवादी सं. 5)

यह कि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की वंशावली निम्न प्रकार से है–

मालसिंह उर्फ मलसिंह पुत्र जयसिंह (फौत)

- विशाल सिंह (पुत्र)
- गुलाब कंवर(बेवा)

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु सीकर

Scanned by CamScanner

जिसमें खसरा सं. 1791/463 का कोई विवाद नहीं है ना ही उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है वर्तमान खं0 नं0 1792/463 के पुराना खं0नं0 500 होकर रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा रहा है इस 16 बिस्वा 10 बिस्वा भूमि में से 5 बीघा 7 बिस्वा पुख्ता पश्चिमी दक्षिणी कोने की भूमि को वादी सं0 1 के पति व 2 लगायत 3 व प्रति.सं. 5 के पिता मुनीर खां पुत्र महमूद खां ने प्रतिवादी सं0 1 के पिता व 2 के पति मल सिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06/09/1976 को पर्याप्त प्रतिफल राशि अदा कर क्रय किया था, उसी समय पुराना खं. नं. 500 के वर्तमान खं0 नं0 1792/463 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि का कब्जा वास्तविक व व्यवहारिक प्राप्त कर लिया था, तब से ही वादी सं0 1 के पति व वादीगण सं. 2 लगायत 3 व प्रतिवादी सं0 5 के पिता मुनीर खां, का लगातार उनके जीवनकाल में बहैसियत खातेदार काश्तकार कब्जा रहा है, उक्त मुनीर खां का दिनांक 26/2/2007 को इन्तकाल हो गया, जिसके वादीगण व प्रति0 सं0 5 ही कानूनी वारिस है वादीगण व प्रति0 सं0 5 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। यह कि वादिया के पति व वादी सं0 2 व 3 व प्रति0 सं0 5 के पिता द्वारा क्रय की गई। कृषि भूमि पुराना ख0 नं0 500 वर्तमान ख0नं0 1792/463 में से 5 बीघा 7 बिस्वा पुख्ता भूमि वादीगण व प्रति0 सं0 5 को विरासत में प्राप्त हुई है जिसके नाप को बीघा प्रणाली से हैक्टर में बदला जावे तो 5 बीघा बिस्वा भूमि का रकबा 1.33 है0 होता है अर्थात् वर्तमान ख0 नं0 1792/463 रकबा 3.35 है0 में वादीगण व प्रति0 सं0 5 के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि 1.33 है0 शामिल है उक्त 1.33 है0 भूमि के अलावा 1792/463 की शेष 2.02 है0 भूमि पर ही प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 का कब्जा काश्त है तथा यह भूमि विक्रय पत्र दिनांकित 6.9.76 के पश्चात से की बहामी बंटवारा में विभाजित कृषि भूमि है जिस कारण ख0न0 1792/463 की दक्षिणी पश्चिमी कोने में वादीगण व प्रति0सं0 5 का 5 बीघा 7 बिस्वा पुख्ता भूमि के हिसाब से 1.33 हैक्टर भूमि पर निरन्तर व निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा है। जिसकी प्रतिवादी सं. 1 व 2 को भी जानकारी है प्रतिवादी सं0 1 के पिता व 2 के पति का वर्ष 1989 में स्वर्गवास होने के पश्चात विरासत के नामान्तकरण सं0 82 के द्वारा विवादित भूमि सम्पूर्ण पर प्रतिवादीसं0 1 व 2 का नाम दर्ज हुआ है जो कि वादीगण व प्रति0 सं0 5 के हिस्से तक प्रारम्भ से ही प्रभावहीन व शून्य है। उक्त नामान्तकरण सं0 82 ग्राम पंचायत कासली द्वारा स्वीकृत किया गया है व जिसको स्वीकृत करने से पूर्व वादिया व वादी सं0 2 व 3 व प्रति0सं0 5 के पति/पिता को कोई सूचना नहीं दी ना ही कब्जा की जांच की जबकि ख0न0 1792/463 रकबा 3.35 है0 के मूल ख0 नं0 463 की भूमि में 1.33 है0 भूमि पर वादिया एवं वादीगण सं0 2 व 3 एवं प्रति0सं0 5 के पति/पिता का भूमि क्रय करने के दिन से निरन्तर व निर्विवाद रूप से कब्जा काश्त रहा है फिर भी नामान्तकरण सं0 82 बिना किसी आधार के स्वीकृत कर दिया, इसलिए नामान्तकरण सं0 82 को वादीगण एवं प्रति0 सं0 5 के हिस्से तक शून्य प्रभावहीन व विधिविरुद्ध घोषित किया जाना प्रार्थनीय है। यह कि वादिया के पति व वादी सं0 2 व 3 व प्रति0 सं0 5 के पिता का नाम विक्रयपत्र दिनांकित 6.9.76 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने की पूर्व में वादीगण व प्रति0सं0 5 को जानकारी नहीं थी, वादिया के पति एवं वादीसं0 2 व 3 व प्रति0सं0 5 के पिता मुनीर खां का दिनांक 26.2.07 को स्वर्गवास हो गया उसके पश्चात राजस्व रिकार्ड में विरासत के आधार पर नाम दर्ज करने हेतु एवं अपने कब्जा काश्त की भूमि का किसान कार्ड बनवाने हेतु वादीगण ने दिनांक 24/3/2009 को हल्का पटवारी से सम्पर्क कर विरासत का नामान्तकरण भरकर ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया तब हल्का पटवारी ने ख0न0 1792/463 का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी देखकर बताया कि यह भूमि प्रतिवादीसं0 1 व 2 की खातेदारी में विरासत के नामान्तकरण सं0 82 के द्वारा दर्ज हुई है तथा मुनीर खां वल्द महमूद खां के नाम खातेदारी वर्ष 1992 से पूर्व तक इनफ्रिगमेन्ट के कारण दर्ज नहीं हो पाई थी, जिस कारण भूमि का खाता मलसिंह के नाम से ही दर्ज रहा है। इस पर वादीगण ने हल्का पटवारी से

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

जमाबंदी की नकल दि0 24.03.2009 को प्राप्त की सदर कानूनगो ऑफिस से जमाबंदी संवत 2057 से 2060 नामान्तकरण सं0 461, जमाबंदी सं0 2053 से 2056, 2045 से 2052, 2045 से 2048 नामान्तकरण सं0 82 वर्तमान नक्शा ट्रेस, पुराना नक्शा ट्रेस मिलान क्षेत्रफल एवं भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी 2041 से 2060, जमाबंदी 2034 से 2037 तक विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तब सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड की वादीगण को जानकारी हुई। वादीगण ने उक्त सम्पूर्ण रिकार्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर प्रतिवादी सं0 1 व 2 से दिनांक 30.04.2009 को सम्पर्ककर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया तब प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने राजस्व रिकार्ड सम्पूर्ण से अपना नाम हटवाकर वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर वादीगण का नाम दर्ज कराने से स्पष्टतया मना कर दिया, जिस कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूर्णतया सम्भावना हो गई तथा वादीगण के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि के राजस्व रिकार्ड खातेदारी की भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रति0स0 1 व 2 का बनाम गलत दर्ज होने के कारण प्रति0 सं0 1 व 2 के मन में बेईमानी आ गई जिन्होंने वादीगण के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि को खुर्द-बुर्द करने वेस्ट डेमेज एवं अलाईनेट करने, भूमाफिया गिरोह को वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को गुमाईसी बेचान करने की बमुकाम कासली में धमकी दी और कहा कि भूमि को दिगर भू माफिया गिरोह को बेचान करेंगे तथा तुम्हें बेदखल कर देंगे यदि प्रतिवादीगण अपने इस कुउद्देश्य में सफल हो गये तो वादी गण को इतनी असिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकेगी इसलिए वादग्रस्त भूमि वर्तमान ख0न0 1792/463 रकबा 3.35 हैक्टर में से वादीगण व प्रति0स0 5 को 1.33 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त की भूमि की अलग सींव नींव कायम कर लगान का बंटवारा करके अलग खसरा नम्बर डालकर राजस्व रिकार्ड की दुरुस्ती हेतु तहसीलदार सीकर को आदेश प्रदान किया जाना प्रार्थनीय है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायीनिषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जाना भी प्रार्थनीय है कि वे वाद ग्रस्त भूमि को वेस्ट डेमेज तथा अलाईनेट करने वादीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने, पेड़ काटने, खड्डे खोदने एवं किसी दिगर को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण करने, रहने रखने, मौका स्थिति को परिवर्तित करने से मय नौकर, चाकर परिजन प्रतिबन्धित रहे। यह कि प्रतिवादी सं0 3 राज्य सरकार का प्रतिनिधि होकर सम्पति के अंतरण प्रलेख एवं रहननामा आदि को पंजीकृत करता है जिसके विरूद्ध धारा 80 सीपीसी का 2 माह का कानूनी नोटिस दिये बिना कानूनन वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, परन्तु वादपत्र अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है जिसकी इजाजत के लिए धारा 80(2) सीपीसी का आवेदन वादपत्र के साथ अलग से सादर प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं0 4 भूमिधारक राज्य सरकार होने से आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादी सं0 5 का भी वादीगण के साथ ही निहित है परन्तु वह यहां नहीं होने के कारण उसे प्रफोर्मा डिपेण्डेन्ट बनाया गया है। वाद कारण प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा दिनांक 30.04.2009 को सक्षम न्यायालय में चलकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने से इन्कार हो जाने व वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि को वेस्ट डेमेज एवं अलाईनेट करने की धमकी बमुकाम कासली तह0 व जिला सीकर में देने के कारण पेदा हुआ एवं दावा करना आवश्यक हुआ। दावा माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है। दावा उचित न्याय शुल्क अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार कर डिकी फरमाया जाकर ग्राम कासली तह0 व जिला सीकर कीतन में अवस्थित कृषि भूमि ख0न0 1792/463 रकबा 3.35 है0 से वादीगण व प्रति0सं0 5 को 1.33 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादीसं0 1 व 2 का नाम सम्पूर्ण 3.35 है0 से हजब कर 1.33 है0 भूमि पर वादीगण का नाम रखा एवं 2.02 है0 भूमि पर प्रतिवादीसं0 1 व 2 का नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती हेतु तहसीलदार सीकर को आदेश प्रदान किया जावे। वादीगण को वादग्रस्त भूमि में से 1.35 है0 भूमि का खातेदार

Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी
सीकर

Scanned by CamScanner

काश्तकार घोषित करने के पश्चात वादीगण के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि का मुताबिक कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के मध्य विभाजन कर वादीगण व प्रति0 सं0 5 के हिस्सा में आई 1.33 है0 भूमि के खसरा नम्बर अलग डालकर अलग सींव नींव कायम करके लगान का भी विभाजन किया जाना प्रार्थनीय है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि 1.33 है0 ख0न0 1792/463 वाके ग्राम कासली तह0 व जिला सीकर की वेस्ट डेमेज, एवं अलाईनेट करने वादीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने वादग्रस्त भूमि को बंटवारा करवाये बिना बेचान करने, रहन रखने, खडडे खोदने पेड काटने, मौका स्थिति को परिवर्तित करने से मय नौकर चाकर, परिजन, एजेंट प्रतिबन्धित रहे एवं प्रति0सं0 3 किसी भी प्रकार का भूमियों को अन्तरण करने का दस्तावेज, रहननामा आदि पंजीकृत नहीं करे एवं प्रतिवादीसं0 4 राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो वादीगण के पक्ष में हो माननीय न्यायालय हाजा से प्रदान की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 3 ता 5 के विरूद्ध बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 कि ओर से उनके अभिभाषक श्री शिवकुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। जिसमें उल्लेखित किया गया कि वाद पत्र में वर्णित वंशावली के संबंध में प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को कोई जानकारी नहीं है। वाद पत्र में वर्णित खसरा सं. नये पुराने होना तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम खातेदारी व उनका कब्जा होना तथा ग्राम कासली में विवादित भूमि होना स्वीकार है। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रति. सं. 1 के पिता व 2 के पति मालसिंह द्वारा वादीगण तथा प्रति. सं. 5 के पिता मुनीर खां को विवादित भूमि 5 बीघा 7 बिस्वा कभी विक्रय नहीं की थी और न ही कब्जा दिया था, वादीगण ने इस मद में दिनांक 06.09.1976 को विक्रय पत्र पंजीयन कराना व कब्जा देना कतई गलत अंकित किया है। जब प्रतिवादीगण सं. 1 के पिता मालसिंह द्वारा वादीगण के पिता मुनीर खां को कोई जमीन विक्रय नहीं की और न ही कब्जा दिया तो वारिस होने का तथा विवादित भूमि उनके कब्जे में होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम नामान्तकरण सं. 82 बाद जांच तस्दीक किया गया और सही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया गया, उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कराने हेतु आज तक कोई अपील नहीं की, इसलिए उक्त नामान्तरकरण को वादीगण द्वारा निरस्त कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। दावा वादीगण का खारिज किया जावे। विक्रय पत्र दिनांक 06.09.1976 जब प्रति. सं. 1 के पिता मुनीर खां के पक्ष में पंजीकृत कराया ही नहीं तो जानकारी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। विशेष कथन में भी उल्लेखित किया कि वादीगण के कथनों अनुसार विक्रय पत्र दिनांक 06.09.1976 को पंजीयन कराया जाना अंकित किया है, उक्त विक्रय पत्र की पालना वादीगण व उसके पूर्वज स्व. मुनीर खां ने 33 वर्षों के बीत जाने के बाद भी नहीं करवाई और अपने नाम खातेदारी भी नहीं करवाई। अतः वादीगण उक्त विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी कराने का अधिकारी नहीं है। विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं है और न कभी रहा। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 अपने पूर्वजों के समय से ही विवादित भूमि पर काबिज है और काश्त कर रहे है तथा रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। इसलिए वादीगण का वाद खारिज योग्य है। दिनांक 18.06.2010 को तनकी कायम की जाकर शामिल पत्रावली की गई। साक्ष्य में वादी ने वाद के समर्थन में खाजू खां का शपथ–पत्र पेश किया गया। जिसके बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। जिरह साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस में विचाराधीन थी। इस दौरान प्रतिवादीया सं. 2 की मृत्यु होने व वारिस पहले से पत्रावली पर उपलब्ध होने से नाम हजफ किये जाने बाबत आवेदन पेश किया। जिस पर प्रतिवादीगण वकील ने स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की। अतः उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रतिवादिया सं. 2 का नाम वाद पत्र से हजफ किया गया। दिनांक 24.07.2019 को वादीगण सं. 1 ता 3 व प्रतिवादी सं. 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जिसमें उल्लेखित किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 के पिता मलसिंह उर्फ मालसिंह ने कृषि भूमि वर्तमान खसरा सं. 463 रकबा 3.68 हैक्टेयर के विभाजित खसरा सं. 1792/463 रकबा 3.35 हैक्टेयर, खसरा सं. 1791/463 रकबा 0.33 हैक्टेयर पुराना खसरा सं. 500 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा ग्राम कासली में से 5 बीघा 7 बिस्वा पुख्ता पश्चिमी-दक्षिणी कोने की भूमि को वादी सं. 1 के पति तथा वादी सं. 2 व 3 एवं प्रतिवादी सं. 5 के पिता मुनीर खां पुत्र महमूद खां को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.09.1976 को प्रर्याप्त प्रतिफल राशि प्राप्त कर बेचान कर दिया था उक्त 5 बीघा 7 बिस्वा विक्रीत भूमि को हैक्टयर प्रणाली में परिवर्तित किया जावे तो 1.33 हैक्टेयर बनती है जो कि वर्तमान खसरा सं. 1792/463 रकबा 3.35 हैक्टेयर में से है। इसलिए खसरा सं. 1792/463 रकबा 3.35 हैक्टेयर में से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार 1.33 हैक्टेयर भूमि का काबिज खातेदार क्रेता के वारिसान वादीगण को घोषित करने में प्रतिवादी सं. 1 को कोई एतराज नहीं है। मृतक क्रेता मुनीर खां के उसकी पत्नी मरियम बानो व उसके पुत्र याकुब खां एवं खाजू खां तथा प्रतिवादी सं. 5 अब्दुल रशीद के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। इन कृषि भूमि के विक्रेता मलसिंह पुत्र जयसिंह के प्रतिवादी सं. 1 के अलावा वर्तमान में अन्य कोई जीवित वारिस नहीं है। अतः राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष के अभिभाषकगण ने मुताबिक राजीनामा के वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.09.1976 से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 के पिता मलसिंह उर्फ मालसिंह ने खसरा सं. 500 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा में से 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि का बेचान 5000 रू. प्रतिफल प्राप्त करके वादीगण व प्रतिवादी सं. 5 के पिता/पति मुनीर खां को कर दिया था तथा उसी दिन विक्रीत भूमि 5 बीघा 7 बिस्वा पर से अपने सम्पूर्ण अधिकार क्रेता मुनीर खां को स्थानान्तरित कर दिये थे। तब से क्रेता उक्त भूमि पर काबिज काश्त कर रहा था। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2034-2037 के अनुसार विवादित आराजी खसरा सं. 500 रकबा 16 बीघा 10 बिस्वा विक्रेता के नाम पर दर्ज थी। इससे स्पष्ट है कि बेचान के समय विवादित भूमि विक्रेता के नाम पर दर्ज थी। जिसे बेचान करने का उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त था। पत्रावली में संलग्न मिसल हकीकत की प्रमाणित प्रतिलिपि से यह स्पष्ट है कि सैटलमेंट के पश्चात् विवादित आराजी खसरा सं. 500 के नवीन खसरा सं. 463 रकबा 3.68 हैक्टेयर की खातेदारी जरिये विरासत के नामान्तरकरण सं. 82 द्वारा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम दर्ज हुई है। कालान्तर में प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने खसरा सं. 463 में से 0.33 हैक्टेयर भूमि भगवानसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत नि. कासली तहसील धोद को बेचान कर दी थी। जिसके कारण खसरा सं. 463 के दो वर्तमान खसरा सं. 1792/463 व खसरा सं. 1791/463 बन गये। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076-2079 के अनुसार खसरा सं. 1792/463 व खसरा सं. 1791/463 प्रति. सं. 1 विशाल सिंह के नाम पर दर्ज है। पत्रावली मे वादीगण व प्रति. सं. 5 तथा प्रतिवादी सं. 1 के बीच तस्दीकशुदा राजीनामा दिनांक 24.07.2019 संलग्न है। जिसमें यह कथन किया गया है कि "खसरा सं. 1792/463 रकबा 3.35 हैक्टेयर में से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार 1.33 हैक्टेयर भूमि का काबिज खातेदार क्रेता के वारिसान वादीगण को घोषित करने में प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

सं. 1 को कोई एतराज नहीं है। मृतक केता मुनीर खां के उसकी पत्नी मरियम बानो व उसके पुत्र याकुब खां एवं खाजू खां तथा प्रतिवादी सं. 5 अब्दुल रशीद के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं है। इन कृषि भूमि के विकेता मलसिंह पुत्र जयसिंह के प्रतिवादी सं. 1 के अलावा वर्तमान में अन्य कोई जीवित वारिस नहीं है। अतः राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जावे।" अतः पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व राजीनामा के अनुसार वाद को डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 डिक्री किया जाकर ग्राम कासली तहसील धोद के विवादित आराजी खसरा सं. 363 रकबा 3.68 हैक्टेयर में से 1.33 हैक्टेयर भूमि का याकूब, खाजू खां, अब्दुल रसीद पुत्र मुनीर खां मरियम बानो बेवा मुनीर खां जाति कायमखानी निवासी कासली तहसील धोद को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा सं0 363 के शेष रकबे 2.35 हैक्टेयर का प्रतिवादी सं. 1(विशाल सिंह पुत्र मालसिंह उर्फ मलसिंह जाति राजपूत निवासी कासली तहसील धोद) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी, धोद
न्यायालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस.

श्रीमती मरियम बानो आदि बनाम विशाल सिंह आदि

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर– 72/2009 निर्णय दिनांक– 27.09.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजपाल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी श्री प्रभातीलाल मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री शिवकुमार शर्मा, श्री रामनिवास मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व अंतिम डिक्री दी जाती है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 डिकी किया जाकर ग्राम कासली तहसील धोद के विवादित आराजी खसरा सं. 363 रकबा 3.68 हैक्टेयर में से 1.33 हैक्टेयर भूमि का याकूब, खाजू खां, अब्दुल रसीद पुत्र मुनीर खां मरियम बानो बेवा मुनीर खां जाति कायमखानी निवासी कासली तहसील धोद को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा सं0 363 के शेष रकबे 2.35 हैक्टेयर का प्रतिवादी सं. 1(विशाल सिंह पुत्र मालसिंह उर्फ मलसिंह जाति राजपूत निवासी कासली तहसील धोद) को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह आज तारीख 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर [मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद]

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल		जोड़	
जोड़			

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner